न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 14 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025 / 108

प्रार्थी

1. केशाराम पुत्र भबूताराम जाति कलबी, निवासी पमाणा, तहसील— सांचौर, जिला— जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. प्रभू पुत्र भबूता।
2. कानाराम पुत्र गणेशाराम।
3. चुनी पत्नी गणेशा।
4. नरसाराम पुत्र गणेशाराम जाति कलबी, निवासी पमाणा, तहसील— सांचौर, जिला— जालोर। ।
5. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा— देवड़ा।
6. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कलबी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीरसिंह जानवी।
3. अप्रार्थी संख्या 5,6 एकपक्षीय।

:— निर्णय :—

दिनांकः— 07.11.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का आया हुआ है। जिस पर मैं काबित काश्त हूँ। तथा मैं प्रा[illegible] परिव[illegible] निवासरत है व काश्त करते आ रहे है। उक्त खातेदारी खेत में आ[illegible] मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 1033 रकबा 1.94 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1034 रकबा 2.03 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि [illegible] से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ अ में लाल रंग से दर्शाया गया है। जो मुझ प्रार्थी को दिया जाना न्यायहित में अति आवश्वयक है। मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 1032 रकबा 0.75 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 1033 रकबा 1.94 हैक्टेयर किस्म बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:12:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

दोयम, खसरा संख्या 1034 रकबा 2.03 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ अ मे लाल रंग से दर्शाये अनुसार अवाप्त कर प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत में आवागमन करने हेतू रास्ता दिलाया जाये। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आने—जाने हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 1033 रकबा 1.94 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1034 रकबा 2.03 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ अ में लाल रंग से उल्लेखित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ते की भूमि के रूप मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना—दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह जानवी द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी 1 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— प्रार्थी के खातेदारी खेतो में आवागमन करने हेतू रास्ते की आवश्यकता है, जो हम अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 खेत मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खसरा संख्या 1033 रकबा 1.94 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम (अप्रार्थीगण संख्या 01 प्रभु पुत्र भबूता), खसरा संख्या 1034 रकबा 2.03 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम (अप्रार्थीगण संख्या 02, 03 व 04) भूमि में से 12 फीट चौड़ा नया रास्ता प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशष्ठ अ में लाल रंग से दर्शायेनुसार भूमि को अवाप्त कर प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों में आवागमन करने हेतु रास्ता दिया जाये तो हमे कोई आप्पति नही है। तथा हमे उक्त भूमि के एवज मे पैसो की आवश्यकता नहीं है। अतः जवाबदावा मय शपथ—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को हम अप्रार्थीगण संख्या 01 प्रभु पुत्र भबूता, 02 कानाराम पुत्र गणेशाराम, 03 चुनी पत्नी श्री गणेशा व 04 नरसाराम पुत्र गणेशाराम के मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 1033 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1034 रकबा 2.03 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता भूमि अवाप्त कर दिया जाता है तो हमे कोई आप्पति नही है।

4. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना—पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अ [illegible] अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :— 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:12:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचोर (जालोर)

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है—

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा नम्बर 1035 रकबा 2.08 हैक्टर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा की गई मांग नजरी नक्शा अनुसार एव अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 द्वारा रास्ते हेतु दी गई सहमति प्रदान की गई। अतः प्रार्थी के खसरा नं. 1035 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1033 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1034 रकबा 2.03 हैक्टेयर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दिया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:12:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

उचित है। प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खसरा नंबर 1035 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 1033 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1034 रकबा 2.03 हैक्टेयर में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:– **आदेश** :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा अनुसार मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खसरा नंबर 1035 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 1033 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1034 रकबा 2.03 हैक्टेयर में से 4 मीटर चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **07.11.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:12:18 IST
Reason: SelfAttested